

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 17, सोमवार, शाके 1947- दिसम्बर 08, 2025 Agrahayana 17, Monday, Saka 1947- December 08, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर अक्टूबर 02, 2025

संख्या प.9(33)राज-1/2025-26424:-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या.15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, जोधपुर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंसा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि **जोधपुर जिले की तहसील बावड़ी एवं तिंवरी** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरो/ढाणियां को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार है :-

क्र.सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी KM	शेष मूल राजस्व ग्राम का विवरण	
			ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011		क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जोधपुर / बावड़ी	नांदिया खुर्द / बावड़ी	नांदिया कलां LG Code 84684	3234. 00	2888	नांदिया भैर की ढाणी Nandiya Bher Ki Dhani	827.0 565	761	3	2406. 9435	2127
2	जोधपुर / तिंवरी	रामपुरा भाटियान / तिंवरी	रामपुरा भाटियान LG Code 84715	1309. 6909	3917	रामपुरा नगर Rampura Nagar	728.2 085	1726	1.9	581.4 824	2191

नोट:-

नव-घोषित ग्रामों में आबादी विस्तार व मूलभूत सुविधाओं हेतु प्रस्तावानुसार समर्पित खसरा भूमि का राज्य सरकार के हक में नामांतरण दर्ज कर भूमि आरक्षित करने उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही संपादित की जावेगी। उक्त कार्य निश्चित समयावधि में ही पूर्ण किया जावे।

नव-घोषित राजस्व ग्रामों में से यदि किसी ग्राम में माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालयद्वारा कोई स्थगन आदेश या अन्य आदेश पारित किए गए हो तो उसकी पालना सुनिश्चित करें तथा संशय की स्थिति में ऐसे प्रकरणों में विधिक राय प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्राम एवं नवघोषित राजस्व ग्राम के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु जिला कलक्टर, जोधपुर को अधिकृत किया जाता है। उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे।

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।